न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019 / 00260 दर्ज तिथिः—25.11.2019

1. जेठाराम पुत्र जोधाराम
2. गोदाराम पुत्र जोधाराम

जाति पुरोहित निवासी लवंगी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

..................वादी

बनाम

1. घमाराम पुत्र जगाराम
2. छगनलाल पुत्र जगाराम
3. जमनादेवी पत्नी जगाराम
4. जामाराम पुत्र जोधाराम

जाति पुरोहित निवासी लवंगी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुढामालानी।
6. तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुढामालानी

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

&¼fu.k;½&

निर्णय तिथिः—24.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 284 / 0.0324 है0, 285 / 3.5531 है0, 285 / 1 / 3.6988 है0 मौजा लवंगी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:26:59 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए तथा वादी के साथ—साथ प्रतिवादीगण का भी माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान की। प्रकरण में अभिभाषक उभपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.06.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/723 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा जरिये असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/723 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:26:59 IST
Reason: SelfAttested

21 ***Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.*** *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 24.04.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1314—1318 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1314—1318 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075—2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 284/0.0324 है0, 285/3.5531 है0, 285/1/3.6988 है0 मौजा लवंगी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:26:59 IST
Reason: SelfAttested

है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 284/0.0324 है0, 285/3.5531 है0, 285/1/3.6988 है0 मौजा लवंगी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
छगनलाल पुत्र जगाराम घमाराम पुत्र जगाराम जमनादेवी पत्नी जगाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार रहन—एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	लवंगीनगर	285	1.8210	चा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.8210 है0				
गोदाराम पुत्र जोधाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	लवंगीनगर	285 285 284 285/1	0.1700 1.5621 0.0324 0.0568	चा0सो0 चा0सो0 गै0मु0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 1.8213 है0				
जेठाराम पुत्र जोधाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	लवंगीनगर	285/1 285/1	1.1712 0.6498	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.8210 है0				
जामा पुत्र जोधाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	लवंगीनगर	285/1 285/1	1.0491 0.7719	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.8210 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:26:59 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:26:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2019/00260 दर्ज तिथिः–25.11.2019

1. जेठाराम पुत्र जोधाराम
2. गोदाराम पुत्र जोधाराम

   जाति पुरोहित निवासी लवंगी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

.................वादी

बनाम

1. घमाराम पुत्र जगाराम
2. छगनलाल पुत्र जगाराम
3. जमनादेवी पत्नी जगाराम
4. जामाराम पुत्र जोधाराम

   जाति पुरोहित निवासी लवंगी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुढामालानी।
6. तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुढामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः– श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

&%ipk fMØh%&

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 284/0.0324 है0, 285/3.5531 है0, 285/1/3.6988 है0 मौजा लवंगी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:26:59 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
छगनलाल पुत्र जगाराम घमाराम पुत्र जगाराम जमनादेवी पत्नी जगाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार रहन—एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	लवंगीनगर	285	1.8210	चा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.8210 है0				
गोदाराम पुत्र जोधाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	लवंगीनगर	285 285 284 285/1	0.1700 1.5621 0.0324 0.0568	चा0सो0 चा0सो0 गै0मु0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 1.8213 है0				
जेठाराम पुत्र जोधाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	लवंगीनगर	285/1 285/1	1.1712 0.6498	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.8210 है0				
जामा पुत्र जोधाराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	लवंगीनगर	285/1 285/1	1.0491 0.7719	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.8210 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:26:59 IST
Reason: SelfAttested